राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 33/2018

विद्या प्रकाश पुत्र कजोडी लाल जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल जिला बारां .... वादी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) .....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)

वकील वादी : स्वयं वादी

निर्णय दिनांक : 14.05.2018

दायर दिनांक–14.05.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की पुश्तैनी आराजी खाता संख्या 55 में कुल किता 1 रकबा 1.76 है0 वाके माल रेनगढ में स्थित है जिसमें पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का नाम बुद्धी प्रकाश दर्ज कर दिया है जबकि वादी का सही नाम विद्या प्रकाश है जिसकी पुष्टि वादी के अध्ययन प्रमाण पत्र व पेंशन भुगतान पत्र से होती है। अतः वादी का नाम उक्त राजस्व रेकार्ड में बुद्धीप्रकाश के स्थान पर विद्या प्रकाश दुरूस्त करने के आदेश फरमावे।

उक्त आश्य का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल के पत्रांक एलआर/2018/1 दिनांक 14.05.2018 से अंकन किया कि मुताबिक वर्तमान खसरा नं0 91 रकबा 1.76 है0 में दर्ज बुद्धि प्रकाश जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल के स्थान पर विद्या प्रकाश पुत्र कजोडीलाल किये जाने के संबंध में रिपोर्ट पेश की है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसलीदार मांगरोल एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम रेनगढ की खाता संख्या 55 में खसरा नं0 91 रकबा 1.76 है0 वाके माल रेनगढ की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम बुद्धी प्रकाश हजफ करके विद्या प्रकाश पुत्र कजोडीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार सिंधव)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल